

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 500

दिनांक - 25.2.2020

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 घमुराम 2 किशनाराम पिसरान  
दानाराम 3 हेमराज 4 बाबूलाल  
पिसरान मगाराम उर्फ गंगाराम 5  
पेमाराम 6 धनाराम 7 गोसाईराम  
पिसरान कंवराराम 8 अणसीदेवी  
पत्नी कंवराराम जाति मेघवाल  
निवासी प्रेमसागर, रावतसर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 जोराराम पुत्र भगोना 2 तुलछा पुत्र हनुमान जाति  
जाट 3 बागा पुत्र ताजा जाति मेघवाल 4 मूला पुत्र  
नाथा जाति जाट 5 लच्छा पुत्र नवला 6 देवा पुत्र  
काना 7 खंगार पुत्र भीया 8 बाबू पुत्र रांहिगा जाति  
मेघवाल 9 मांगीलाल पुत्र शंकराराम जाति लौहार 10  
भंवरा पुत्र वीरा 11 मूला पुत्र माला जाति भील 12  
रूपा पुत्र रामा 13 हुकमा पुत्र काना 14 माला पुत्र  
रामा 15 हनुमान पुत्र शोरा जाति मेघवाल 16 पेमा पुत्र  
लाल जाति जाट निवासी प्रेम सागर, रावतसर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 307/2019

दिनांक- 25.2.2020

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रेमसागर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 1647/450 रकबा 06.11 बीघा, खसरा संख्या 1649/450 रकबा 10.15 बीघा,  
खसरा संख्या 1650/466 रकबा 43.09 बीघा, खसरा संख्या 1652/466 रकबा 05.00 बीघा,  
खसरा संख्या 1660/494 रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 75.15 बीघा भूमि के चारो तरफ  
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर  
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.  
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क  
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण  
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 25.2.2020

क्रमांक :- रीडर/2020/ 501-504

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. घुमाराम पुत्र दानाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी प्रेम सागर, रावतसर तहसील व जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोराराम पुत्र भगोना वगैराह जाति जाट निवासी प्रेम सागर, रावतसर तहसील व  
जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

